

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक. १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 38/2012

परमेश्वर कुंवर

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, सदर, छपरा)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
07.05.2015	<p>यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 338, दिनांक 03.03.2012 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15.11.2011 को परमेश्वर कुंवर, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-103/2007, पंचायत-भुसॉव, प्रखंड- बनियापुर, जिला-सारण की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयी:-</p> <p>(1) जाँच के समय 01:45 बजे अपराहन् में विक्रेता की दूकान बंद पायी गई। बिना किसी सूचना के व अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण विक्रेता की दूकान से संबंधित पंजियों की जांच नहीं की जा सकी।</p> <p>(2) विक्रेता की दुकान से संबद्ध कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दर्ज कराया गया कि उन्हें 20 कि०ग्रा० खाद्यान्न का उठाव 150 रु० लेकर किया जाता है। साथ ही, किरासन तेल की आपूर्ति 18रु० प्रति लिटर की दर से की जाती है।</p> <p>उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 49 ,दिनांक 04.01.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी</p>	

अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छ में जांच के समय का उल्लेख नहीं किया गया है। जांच की तिथि को 15.11.2011 को विक्रेता निर्धारित कार्य अवधि के दौरान अपनी दूकान पर उपस्थित थे। जांच पदाधिकारी 2:00 बजे के बाद आये जिस वजह से दूकान बंद पाई गयी। अनुज्ञापन पदाधिकारी के कारण पृच्छ में कही भी अंकित नहीं किया गया है कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरुद्ध शिकायत की गई। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा विक्रेता को परेशान करने की नीयत से झूठा आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिशीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 338, दिनांक 03.03.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के विरुद्ध दिए गए कुल 3 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छ किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छ में किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नहीं है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर कारण पृच्छ किया जाए, उन्हें सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के



अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित



जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।



जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....310...../न्या०, दिनांक...08/05/2015

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को अभिलेख मूल में
संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, सारण,
छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड
करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।


वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
08/05/15